



C.F. Rs. 40/-

R-319-1113

रावेन्द्र तिवारी तनय स्व. श्री इन्द्रभान तिवारी उम्र 50 वर्ष पेशा वकालत निवासी
नोहल्ला नरेन्द्रनगर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के पास अमहिया रीवा थाना सिविल

अधि० श्री रामानंदलाइन रीवा तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)निगरानीकर्ता/आवेदक

मिश्र डायलुग
रीवा, दि. 17-12-12

बनाम्

1- श्री रामप्रसाद वर्मा तनय स्व. श्री सूर्यदीन वर्मा निवासी नरेन्द्रनगर रीवा तह. हुजूर

17-12-12 जिला रीवा म.प्र.।

2- श्रीमती रामसखी तिवारी बेवा पत्नी स्व. रामकिशोर तिवारी निवासी नरेन्द्रनगर
अमहिया रीवा तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.।

रीवा

3- अमेश कुमार तनय स्व. रामकिशोर निवासी नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा तह. हुजूर
जिला रीवा म.प्र.।

91-13
जिला रीवा म.प्र.।

4- सुरेश कुमार तनय स्व. रामकिशोर निवासी नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा तह. हुजूर
जिला रीवा म.प्र.।

5- बृजेश कुमार तनय स्व. रामकिशारे निवासी नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा तह. हुजूर
जिला रीवा म.प्र.।

17-1-13

6- कमलेश कुमार तनय स्व. रामकिशोर निवासी नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा तह. हुजूर
जिला रीवा म.प्र.।

7- श्रीमती आशा सिंह पत्नी श्री अरुण प्रताप सिंह निवासी नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा
तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.।

8- शासन म.प्र.।

.....गैरनिगराकार/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान्
अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह. हुजूर
जिला रीवा म.प्र. प्रकरण कं. 22/अ
6/2001-02 निर्णय दिनांक 07.09.2012

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

1959 ई.।

राजेन्द्र / 21/11/2019

93

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R 319/10/13 ~~इवा~~

स्थान तथा दिनांक	कार्रवाई तथा आदेश	पक्षकारी एवं अधिवक्ता के हस्ताक्षर
06/12/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक 23/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्फ से जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागाध्यक्ष, इन्सपेक्शन, एफ. डी. 2 के प्रकरण क्रमांक 22/3-6/01-02 में पारित आदेश दिनांक 07/09/12 के विरुद्ध दस्तुत की गयी है। म0प्र0 भूराजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला इवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 29/11/19 को कलेक्टर जिला इवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>ms 6/12/19 सदस्य</p>